4-4-18 ਪਰਤਾਰਕਰਤਾ ਧਿਰਾਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਹਾਜ਼ਰ ਪਖਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ
ਹਾਜ਼ਰ ਪਰਤਾਰਕਰਤਾਂ ਬਹਿਸ ਸੁਣੀ ਗਈ।
ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ 9-4-18 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ।

9-4-18 ਪਰਤਾਰਕਰਤਾ ਧਿਰਾਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਹਾਜ਼ਰ ਪਖਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ
ਹਾਜ਼ਰ ਪਰਤਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਅਲਾਟ
ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਾਇਆ ਪਰਤਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ
ਮਿਸਲ ਦਾਖਲ ਦਫਤਰ ਹੋਵੇ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

1

(2)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

तलास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

जसकरणसिंह पुत्र भूरासिंह जाति जटसिख निवासी गंगागढ़ ग्राम पंचायत श्रीनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

---वादी

बनाम

भूरासिंह पुत्र पोलासिंह जाति जटसिख निवासी गंगागढ़ ग्राम पंचायत श्रीनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

मनजीतकौर पत्नि भूरासिंह जाति जटसिख निवासी गंगागढ़ ग्राम पंचायत श्रीनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

लखविन्द्रकौर पुत्री भूरासिंह जाति जटसिख निवासी गंगागढ़ ग्राम पंचायत श्रीनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

---प्रतिवादीगण

वाद संख्या :– 34 सन् 2018

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

स्थित :–

1. श्री धीरसिंह बराड़ अधिवक्ता — वादी
2. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता — प्रतिवादी सं. 1 ता 3

सत्यमेव जयते

निर्णय — दिनांक :– 9-4-18

संक्षेप रूप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 22 एमएच के खाता सं. 227/204 के प.न. 111/289 मु.न. 9 कि.न. 11 ता 15 की 1.265), 16 की 0.126 है0 व 17 की 0.126 है0, 18 की 0.126 है0, 19 की 0.126 है0, 20 की 126 है0, प.न. 111/290 मु.न. 25 कि.न. 1, 2 सालम 3 की 0.154 है0 कुल 2.555 है0 मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। चक 23 एचएमएच के खाता सं. 122/206 के प.न.)0/289 मु.न. 42 कि.न. 11, 20, 21, 23, 24 की कुल 1.265 है0 भूमि प्रतिवादी सं. 1 के ाम दर्ज रिकार्ड है। चक 21 एचएमएच बी के खाता सं. 41/42 जमाबंदी सम्वत 2071 से 4 प.न. 103/284 मु.न. 9 की 12 बीघा भूमि मे 0.380 है0 भूमि मे 1/6 हिस्सा व खाता i. 42/43 मु.न. 10 व प.न. 103/285 कुल किता 11 व प.न. 104/285 मु.न. 11 कि.न. /0.253 है0 कुन 12 बीघा मे प्रतिवादी सं. 1 का 0.90 हिस्सा मे 1/3 हिस्सा व खाता सं. 43/44 के प.न. 104/284 मु.न. 8 कि.न. 20, 21 व प.न. 103/284 मु.न. 9 की 22/2/0.177, 23, 24, 25 कुल किता 4 व प.न. 103/285 मु.न. 10 कि.न. 1 ता 5, 6/1/0.152, कुल 12 बीघा मे 0.90 हिस्सा मे प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा खाता सं. 49/49 के प.न. 103/284 मु.न. 9 की 1 ता 4, 7 ता 10 की 8 बीघा भूमि मे 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज रिकार्ड है तथा चक 4 एसएनएम के खाता सं. 53/50 के प.न. 103/283 मु.न. 41 की 22/1/0.228, 22/2/0.025, 23/0.228, 24/1/0.05 कुल 4 की 0.506 है0 भूमि मे 1/6 हिस्सा व खाता सं. 92/84 प.न. 103/283 मु.न. 41 कि.न.

(Gw

Scanned by CamScanner

21 मे प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है व चक 7 एसएनएम के खाता सं. 99/60 के प.न. 102/282 मु.न. 43 व प.न. 101/283 मु.न. 53 व प.न. 102/283 मु.न. 54 व प.न. 102/284 मु.न. 55 की कुल 8.9820 है0 मे प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि वादी के दादा पोलसिंह की भूमि थी जो उनके फौत होने के उपरांत प्रतिवादी सं. 1 को विरासतन प्राप्त हुई है जिसमे वादी का जन्म से हक व अधिकार है एवं उक्त भूमि जद्दी जायदाद की श्रेणी मे आती है। उक्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य घरूबंटवारा किया हुआ है, मुताबिक घरूवंटवारा वादी को चक 22 एचएमएच के प.न. 111/289 मु.न. 9 कि.न. 11 ता 15/1.265 है0, कि.न. 16/0.126, 17/0.126, 18/0.126, 19/0.126, 20/0.126, प.न. 111/290 मु.न. 25 कि.न. 1, 2, 3/0.154 कुल 2.55 है0 भूमि प्राप्त हुई जिसके खातेदारी अधिकार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने का अधिकारी है। अतः घोषणा की जावे कि चक 22 एचएमएच के प.न. 111/289 मु.न. 9 कि.न. 11 ता 15/1.265 है0, कि.न. 16/0.126, 17/0.126, 18/0.126, 19/0.126, 20/0.126, प.न. 111/290 मु.न. 25 कि.न. 1, 2, 3/0.154 कुल 2.55 है0 भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है व प्रतिवादी सं. 1 का नाम उक्त चक के खाता से कलमजन किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर श्री ओमप्रकाश गोदारा बिद्वान अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

उभय पक्ष वादी/प्रतिवादीगण राजीनामा पेश कर कथन किया कि वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 22 एचएमएच के खाता सं. 227/204 के प.न. 111/289 मु.न. 9 कि.न. 11 ता 15 की 1.265 है0, 16 की 0.126 है0 व 17 की 0.126 है0, 18 की 0.126 है0, 19 की 0.126 है0, 20 की 0.126 है0, प.न. 111/290 मु.न. 25 कि.न. 1, 2 सालम 3 की 0.154 है0 कुल 2.555 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। चक 23 एचएमएच के खाता सं. 122/206 के प.न. 100/289 मु.न. 42 कि.न. 11, 20, 21, 23, 24 की कुल 1.265 है0 भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। चक 21 एचएमएच बी के खाता सं. 41/42 जमाबंदी सम्वत 2071 से 74 प.न. 103/284 मु.न. 9 की 12 बीघा भूमि मे 0.380 है0 भूमि मे 1/6 हिस्सा व खाता सं. 42/43 मु.न. 10 व प.न. 103/285 कुल किता 11 व प.न. 104/285 मु.न. 11 कि.न. 1/0.253 है0 कुन 12 बीघा मे प्रतिवादी सं. 1 का 0.90 हिस्सा मे 1/3 हिस्सा व खाता सं. 43/44 के प.न. 104/284 मु.न. 8 कि.न. 20, 21 व प.न. 103/284 मु.न. 9 की 22/2/0.177, 23, 24, 25 कुल किता 4 व प.न. 103/285 मु.न. 10 कि.न. 1 ता 5, 6/1/0.152, कुल 12 बीघा मे 0.90 हिस्सा मे प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा खाता सं. 49/49 के प.न. 103/284 मु.न. 9 की 1 ता 4, 7 ता 10 की 8

Scanned by CamScanner

बीघा भूमि मे 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज रिकार्ड है तथा चक 4 एसएनएम के खाता सं. 53/50 के प.न. 103/283 मु.न. 41 की 22/1/0.228, 22/2/0.025, 23/0.228, 24/1/0.05 कुल 4 की 0.506 है0 भूमि मे 1/6 हिस्सा व खाता सं. 92/84 प.न. 103/283 मु.न. 41 कि.न. 21 मे प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है व चक 7 एसएनएम के खाता सं. 99/60 के प.न. 102/282 मु.न. 43 व प.न. 101/283 मु.न. 53 व प.न. 102/283 मु.न. 54 व प.न. 102/284 मु.न. 55 की कुल 8.9820 है0 मे प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि वादी के दादा पोलसिंह द्वारा अपने जीवनकाल मे तथा प्रतिवादी सं. 1 के बाल्यकाल के अवस्था मे प्रतिवादी सं. 1 व उसके 5 भाईयो के नाम भूमि क्रय की गई थी जो पोलासिंह द्वारा खरीद की गई भूमि है। पोलासिंह की मृत्यु के बाद उक्त समस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 व उसके भाईयो के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा घरूबंटवारा मे वादी के हिस्से मे चक 22 एचएमएच के खाता सं. 227/204 प.न. 111/289 मु.न. 9 कि.न. 11 ता 15/1.265 है0, कि.न. 16/0.126, 17/0.126, 18/0.126, 19/0.126, 20/0.126, प.न. 111/290 मु.न. 25 कि.न. 1, 2, 3/0.154 कुल 2.55 है0 भूमि प्राप्त हुई जो वादी के कब्जा काश्त मे है। उक्त खाता मे प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने अपना हक वादीगण को पूर्व से ही त्याग किया हुआ है इसलिये प्रतिवादी सं. 2 व 3 को राजीनामा अनुसार वादी के नाम उक्त भूमि दर्ज होती है तो ऐतराज नही है तथा इसी अनुसार उक्त भूमि की घोषणा करवा कर राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवाने के अधिकारी है। अतः चक 22 एचएमएच के खाता सं. 227/204 प.न. 111/289 मु.न. 9 कि.न. 11 ता 15/1.265 है0, कि.न. 16/0.126, 17/0.126, 18/0.126, 19/0.126, 20/0.126, प.न. 111/290 मु.न. 25 कि.न. 1, 2, 3/0.154 कुल 2.55 है0 भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर उक्त खाता से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा वादी के नाम राजस्व रिकार्ड मे राजीनामा अनुसार अंकन किया जावें।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण वादी/प्रतिवादीगण राजीनामा मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं राजीनामा का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि प्रकरण मे वर्णित भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से संयुक्त खाता मे प्रतिवादी सं. 1 के भाईयो के साथ दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि पूर्व मे वादी के दादा स्व. पोलासिंह की भूमि थी जो उनके फौत होने पर वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 व इसके 5 भाईयो पर विरासतन औद हुई। उक्त वर्णित भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण का जन्म अधिकार है। चूंकि अब उक्त हिन्दू संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा वादी व प्रतिवादीगण ने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

घरूबंटवारा कर लिया है तथा उक्त घरूबंटवारा होने के उपरांत प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने घरूबंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि वादी के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है। चक 22 एचएमएच के खाता सं. 227/204 प.न. 111/289 मु.न. 9 कि.न. 11 ता 15/1.265 है0, कि.न. 16/0.126, 17/0.126, 18/0.126, 19/0.126, 20/0.126, प.न. 111/290 मु.न. 25 कि.न. 1, 2, 3/0.154 कुल 2.55 है0 भूमि का वादी को काश्तकार घोषित किया जावे तो व उक्त चक के खाता से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावें तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति एतराज नही है, ऐसा राजीनामा मे जाहिर किया गया तथा मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है। वादपत्र मे मुख्य अनुतोष प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के विरूद्ध चाहा गया है जिसमे वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 का आपस मे राजीनामा हो गया है। ऐसी स्थिति मे दावा किसी प्रकार का कोई विवाद नही होने के कारण तथा मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने मे उभय पक्ष सहमत होने होने के कारण दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादी चक 22 एचएमएच के खाता सं. 227/204 प.न. 111/289 मु.न. 9 कि.न. 11 ता 15/1.265 है0, कि.न. 16/0.126, 17/0.126, 18/0.126, 19/0.126, 20/0.126, प.न. 111/290 मु.न. 25 कि.न. 1, 2, 3/0.154 कुल 2.55 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार है व चक 22 एचएमएच के खाता सं. 227/204 मे से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावे। वाद व्यय उभय पक्ष वादी/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9-1-18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

डिक्री

यालय सहायक कलैक्टर एवम उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ

बईजलास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

अनवानः–

1–जसकरण सिंह पुत्र भूरासिंह जाति जटसिख निवासी गंगागढ ग्रम पंचायत श्री नगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–:वादीः–

बनाम

1–भूरा सिंह पुत्र पोला सिंह जाति जटसिंख निवासी गंगागढ ग्राम पंचायत श्री नगर तहसील व जिला हनुमानगढ।

2–मनजीतकौर पत्नि भूरासिंह जाति जटसिंख निवासी गंगागढ ग्राम पंचायत श्री नगर तहसील व जिला हनुमानगढ।

3–लखविन्द कौर पुत्री भूरासिंह जाति जटसिंख निवासी गंगागढ ग्राम पंचायत श्री नगर तहसील व जिला हनुमानगढ।

–:प्रतिवादीगणः–

वाद सख्याः– 34 सन 2018

वाद अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.ए

आज यह वाद मुझे सुरेन्द्रसिंह पुरोहित आर.ए.एस. के समक्ष अभिभाषक वादीगण श्री धीर सिंह बराड़ एडवोकेट ने उपस्थित होकर आदेश दिया जाता है कि वाद–वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि चक नं0 22 एच0एम0एच के खाता सं0 227/204 प0न0 111/289 मु0न0 9 किला न0 11 ता 15/1,265 है0 किला न0 16/0,126–17/0,126–18/0,126–19/0,126–20/0,126–प0न0 111/290 मु0न0 25 किला न0 1–2–3/0,154 कुल 2,55 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार है व चक 22 एच0एम0एच0 के खाता सं0 227/204 भूमि मे से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड म अंकन किया जावे ।

..............................x....................लीज.............................x.............................मुबलिग......... ....बातत...............x..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह................ ....x.................से तारीख वसुलयाबी..........................x.............................. बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 9....–03–2018 से जारी की गई।

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ

Scanned by CamScanner